रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 808] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 21, 2019/फाल्गुन 2, 1940
No. 808] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 2019/PHALGUNA 2, 1940

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2019

का.आ. 939(अ).—केन्द्रीय सरकार सहर्ष विमुक्तु, घुमन्तू एवं अर्ध-घुमन्तू समुदायों के लिए एक विकास तथा कल्याण बोर्ड की स्थापना निम्नानुसार शासी निकाय की संरचना करती है:-

(i) अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी।

(ii) बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक का होगा – सदस्य सचिव

(iii) विषय से संबंधित संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग – सदस्य

(iv) जनजातीय कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधि – सदस्य

(v) स्कूल शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि – सदस्य

(vi) विमुक्तु, घुमन्तू एवं अर्ध-घुमन्तू समुदायों के क्षेत्र से अथवा उसमें कार्यरत पांच नामी व्यक्ति जिन्हें भारत सरकार द्वारा सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा।

2. स्थापित किये जाने वाले विमुक्तु, घुमन्तू एवं अर्ध-घुमन्तू समुदायों के लिए विकास तथा कल्याण बोर्ड के सन्दर्भ की शर्तें निम्नलिखित होंगी :-

क) विमुक्तु, घुमन्तू एवं अर्ध-घुमन्तू समुदायों के लिए यथापेक्षित कल्याण और विकास कार्यक्रम तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित करना।

ख) उन स्थानों/क्षेत्रों का पता लगाना जहां इन समुदायों की आबादी बहुत अधिक है।

ग) मौजूदा कार्यक्रमों तक पहुंच और पात्रता में अंतराल का निर्धारण करना और इनका पता लगाना तथा मंत्रालयों/कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करना कि चालू कार्यक्रम विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध-घुमन्तू जनजातियों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

घ) विमुक्तु, घुमन्तू एवं अर्ध--घुमन्तू समुदायों के संदर्भ में भारत सरकार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं में हो रही प्रगति पर निगरानी रखना और उनका मूल्यांकन करना।

ङ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सौंपा गया अन्य कोई संबद्ध कार्य।

3. अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी जो बढ़ाकर पांच वर्ष की जा सकती है।

4. विमुक्तु, घुमन्तू एवं अर्ध-घुमन्तू समुदायों का विकास तथा कल्याण बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित होगा।

5. बोर्ड की सहायता करने के लिए एक निदेशक, एक अवर सचिव, दो अनुभाग अधिकारी और दो सहायक अनुभाग अधिकारी होंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर और एमटीएस की भर्ती ऑउटसोर्सिंग आधार पर की जाएगी।

[फा. सं. 16014/04/2018-BC-III]

बी. एल. मीना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2019

S.O. 939(E).—The Government of India is pleased to constitute a Development and Welfare Board for the Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities with the following composition as Governing Body of the Board namely: .

(i) Chairperson, to be appointed by the Government of India

(ii) Chief Executive Officer of the Board in the rank of Joint Secretary to the Government of India – Member Secretary

(iii) Joint Secretary, Department of Social Justice and Empowerment dealing with the subject – Member

(iv) Representative of Ministry of Tribal Affairs – Member

(v) Representative of Department of School Education – Member

(vi) Five eminent persons from or working in, the field of Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities to be nominated as Members by the Government of India

2. The terms of reference of the Development and Welfare Board for the Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities are as under:

a) To formulate and implement Welfare and Development programmes, as required, for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities.

b) To identify the locations/areas where these communities are densely populated.

c) To assess and identify gaps in accessing existing programmes and entitlements and to collaborate with Ministries/implementing agencies to ensure that ongoing programmes meet the special requirements of Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities.

d) To monitor and evaluate the progress of the schemes of Government of India and the States/UTs with reference to Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities.

e) Any other related work as may be assigned by the Ministry of Social Justice and Empowerment.

3. Appointment of Chairperson and Chief Executive Officer will be made for a period of three years extendable up to five years.

4. The Headquarter of the Development and Welfare Board for the Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities shall be situated at New Delhi.

5. The Board shall be assisted by one Director, one Under Secretary, two Section Officers and two Assistant Section Officers. Assistance of Data Entry Operators and MTS will be taken on outsourced basis.

[F. No. 16014/04/2018-BC-III]

B. L. MEENA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.02.22 16:15:30 +05'30'